DAIRY No- 640
Date- 26/7/2021
B.S.M.F.C., Ltd, Patna

पत्रांक—अ०सं०क०—06—05/रो०—18/2019 1759

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
संयुक्त सचिव—सह—निदेशक

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23.07.2021

विषय :— **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत धर्म संबंधी प्रमाण—पत्र के संबंध में।**

प्रसंग— विभागीय पत्रांक—2559 दिनांक—29.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से धर्म संबंधी प्रमाण पत्र हेतु नीति निर्धारण होने तथा अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना संबंधी मार्गनिर्देशिका के कंडिका—4 की उप कंडिका—(v) के मंत्रिपरिषद् द्वारा शिथिलीकरण अथवा उक्त संबंधी प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त होने एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मार्गनिर्देशिका के कंडिका—4 के उप कंडिका—(v) के अनुरूप धर्म संबंधी प्रमाण पत्र के लिए प्रावधान यथावत् लागू रहेगा। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक—2559 दिनांक—29.12.2020 को विलोपित किया जाता है। गैर सरकारी संस्था द्वारा निर्गत धर्म संबंधी प्रमाण पत्र की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच संबंधित सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से कर संतुष्ट होने पश्चात ऋण आवेदन पत्र को अग्रसारित करेंगे।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव—सह—निदेशक

दिनांक 27-07-2021

ज्ञापांक 1386

प्रतिलिपि : सहायक-निदेशक-सह-लेखा पदाधिकारी/ऋण प्रभारी पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक/ सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक